संख्या- 07/2022/ 551 /क0नि0प्र0/26-3-2022-18(109)/2018

प्रेषक

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त,**2022**

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषय: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को एस.एन.ए. खाते में जमा कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त व्यय नियंत्रण, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1/(33)/पीएफएमएस/2022 दिनांक **07-07-2022** के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के संचालन हेतु रू0 15000.00 (रू0 एक अरब पचास करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक,उ**0**प्र**0**अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर सिंगल नोडल एजेन्सी (एस.एन.ए.) जमा की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून,2022 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

(5) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी परियोजना अधिकारी की होगी।

(7) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(10) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व योजनाधिकारी का होगा।

(15) प्रश्नागत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(16) योजनान्र्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(17) प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार से विगत वर्षो में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-23 में उपलब्ध होना सुनिश्चित किये जाने के उपरांत ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी ।

(18) प्रश्नगत धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक/व्यवस्थाओं के अन्तर्गत शासन की अनुमति से किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0110-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(पी.एम.ए.जी.वाई.) (के.100/रा.0-के.)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के संख्या-E-4-131-X-2022-23-दिनांक:22-7-2022 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

पृ0संख्या-**07**/2022/ 551(1)/क.नि.प्र./26-3-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

4- प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी कैसरबाग,लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको), टी.सी.46-5 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0 शासन।

8- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।